

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

बी. एस. वालिया के सामने , जे.

आजाद सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

पूर्व और अन्य-प्रतिवादीगण 2018 का सी. आर. सं. 2241

20 फरवरी, 2019

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. 8 आर. एल. 6 (ए)-सीमा अधिनियम, 1963-धारा 3 (2) (बी), अनुच्छेद 59-सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा के भीतर दायर किया जाने वाला काउंटर दावा-दिनांकित निर्णय और डिक्री के आधार पर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा-याचिकाकर्ता ने 13.05.2013 पर एकतरफा कार्रवाई की-06.07.2013 पर अलग रखा गया एकतरफा आदेश-19.04.2016 पर दायर किया गया लिखित बयान-वादी/उत्तरदाताओं के साक्ष्य को बंद करने और प्रतिवादीगण/याचिकाकर्ता के साक्ष्य की शुरुआत के बाद 14.02.2018 पर काउंटर दावा दायर करने के लिए आवेदन किया गया-सीमा अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) के अनुसार आयोजित किया गया। 1963, प्रतिदावा दाखिल किए जाने की तारीख को अलग मुकदमे के रूप में माना जाए-प्रतिदावा दायर करने की सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के अनुसार मुकदमा दायर करने की सीमा के समान, यानी वादी को डिक्री रद्द/निर्धारित करने के लिए हकदार बनाने वाले तथ्यों के पहले उसे ज्ञात होने की तारीख से 3 साल, यानी 13.05.2013 पर जब याचिकाकर्ता ने एकतरफा आदेश निर्धारित करने के लिए एक आवेदन दायर किया-आवेदन स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित-संशोधन याचिका खारिज कर दी गई।

दावा को उस तारीख को एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए जिस दिन अदालत में जवाबी दावा किया जाता है, और यह कि एक जवाबी दावा एक अलग मुकदमे के अलावा और कुछ नहीं है। तदनुसार जवाबी दावा करने की सीमा सीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रदान की गई है। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने 06.07.2013 पर दीवानी मुकदमे में पेश होने के बाद 14.02.2018, निर्णय और डिक्री दिनांक 03.08.2009 पर जवाबी दावे के माध्यम से चुनौती देने की मांग की। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के अनुसार निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा उस तारीख से 3 साल के भीतर है जब वादी को डिक्री को रद्द करने या दरकिनार

करने के अधिकार वाले तथ्य पहले उसे ज्ञात हो जाते हैं। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 13.05.2013 पर एकतरफा कार्रवाई की गई थी और उसके द्वारा 06.07.2013 पर एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और उसके बाद, 19.04.2016 पर जवाबदावा दायर किया गया था। सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा कारणों के संबंध में जवाबी दावा दायर किया जा सकता है।

वाद दायर करने से पहले या बाद में लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव करने के लिए सीमित समय से पहले वादी के खिलाफ प्रतिवादी को उपार्जित कार्रवाई समाप्त हो गई है। मामले के तथ्य याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की जानकारी में उस तारीख को थे जब वह विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और 13.05.2013 दिनांकित एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए 06.07.2013 पर एक आवेदन दायर किया। चूंकि एक जवाबी दावा एक मुकदमे के समान है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा जवाबी दावा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के संदर्भ में तीन साल थी और चूंकि जवाबी दावा 14.02.2018 पर दायर किया गया था, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, उसे खारिज कर दिया जाता है, हालांकि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अतुल गौर, सुमित गोयल के लिए अधिवक्ता, प्रतिवादी Nos.1 के लिए अधिवक्ता 4.

B.S.WALIA, J (मौखिक)

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संशोधित याचिका दायर की गई है, जिसमें विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), गोहाना, जिला सोनीपत द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी-1) दिनांक 09.03.2018 को एक और अनुरोध के साथ रद्द करने के लिए दायर किया गया है कि 2013 के सिविल सूट No.987 में रिकॉर्ड काउंटर दावे पर दर्ज करने के लिए दायर आवेदन, जिसका शीर्षक प्रेमो बनाम आजाद सिंह है और अन्य मामले विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), गोहाना के न्यायालय में अनुलग्नक पी-2 के रूप में संलग्न हैं, की अनुमति दी जाए।

(2) पुनरीक्षण याचिका दायर करने की ओर ले जाने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थियों-वादियों ने 2013 का दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रेमो आदि शीर्षक वाले निर्णय और डिक्री के आधार पर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा दायर की गई थी। 2009 के सिविल सूट No.619 A में मुकेश, खुद को मालिक होने और सूट संपत्ति के कब्जे में होने का दावा करता है।

(3) याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को 13.05.2013 पर उक्त दीवानी मुकदमे में एकतरफा कार्रवाई की गई थी, जिसके

बाद याचिकाकर्ता द्वारा 06.07.2013 पर एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 19.04.2016 पर जवाबदावा दायर किया गया था जिसके बाद जवाबी दावा 482 मांगा गया था।

वादी के साक्ष्य को बंद करने और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा भी अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए दो अवसरों का लाभ उठाने के बाद 14.02.2018 पर दायर किया जाना था।

(4) जवाबी दावा दायर करने के लिए आवेदन को विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), गोहाना द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) के अनुसार, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी-वादी के खिलाफ याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को प्राप्त कार्रवाई के कारण के संबंध में मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले या बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले दायर किया जा सकता है। विद्वत विचारण न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने दिनांकित एकपक्षीय आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर करके 06.07.2013 पर दीवानी मुकदमे में उपस्थिति दर्ज कराई थी और 19.04.2016 पर जवाबदावा दायर किया था और चूंकि निर्णय और दिनांकित 03.08.2009 की डिक्री को चुनौती देने के लिए एक जवाबी दावे को एक मुकदमे के रूप में माना जाना था, इसलिए आवेदक द्वारा जवाबी दावा दायर करने की सीमा की अवधि 06.07.2016 तक थी क्योंकि वह 06.07.2013 पर दीवानी मुकदमे में उपस्थित हुआ था, इसलिए, 14.02.2018 पर रिकॉर्ड काउंटर दावे पर रखने के लिए दायर आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा, वादी के साक्ष्य को बंद कर दिया गया था और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने भी साक्ष्य देने के लिए दो अवसरों का लाभ उठाया था।

(5) प्रस्ताव की सूचना जारी करने के समय और सुनवाई के दौरान भी, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विनोद कुमार बनाम जगमोहन और अन्य मामले में इस अदालत की एक समन्वय पीठ के फैसले पर जोरदार भरोसा किया और अन्य 1 ने तर्क दिया कि सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) ने जवाबी दावा दायर करने के लिए कोई सीमा की अवधि लागू नहीं की है, इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी दावे को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

(6) इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क को दोहराया, जिससे विवादित आदेश पारित हो गया और उसी को बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है, लेकिन यहाँ दर्ज किए गए कारणों के लिए, मेरा विचार है कि पुनरीक्षण याचिका योग्यता से रहित है और इसलिए इसे खारिज किया जा सकता है।

(8) विनोद कुमार के मामले में निर्णय का अवलोकन

इससे पता चलता है कि इसमें मामला विद्वत सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने से संबंधित था, जिसमें आदेश 6 नियम 17 के साथ आदेश 8 नियम 6 (ए) और सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत प्रतिवादी-प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी गई थी। जाहिरा तौर पर जवाबी दावा लिखित बयान के साथ दायर किया गया था और बाद में यह था कि जवाबी दावे के संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 के साथ आदेश 8 नियम 6 (ए) और सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। संशोधन के लिए प्रार्थना "डिकरी" शब्द के बाद और "अनिवार्य निषेधाज्ञा" शब्द से पहले "कब्ज़ा" शब्द को इस आधार पर शामिल करना था कि निरीक्षण द्वारा, जवाबी दावे में कब्जे की राहत का अनुरोध नहीं किया जा सकता है। आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि कब्जे की राहत सीमितता से वर्जित थी और यह विवाद की प्रकृति को बदल देगा।

(9) माननीय समन्वय पीठ ने अपने निर्णय के अनुच्छेद संख्या 8 में कहा कि सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) में किसी भी सीमा की अवधि को लागू नहीं किया गया है। इसके बाद, महेंद्र कुमार बनाम एम. पी. 2 राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए, माननीय समन्वय पीठ ने कहा कि यह प्रतिदावे के संशोधन से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रतिदावे दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रतिवादी को अपना बचाव देने से पहले कार्रवाई का कारण प्राप्त हो गया हो या बचाव दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गई हो। वादी-याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रतिवादी द्वारा बचाव पक्ष का खुलासा किए जाने के बाद जवाबी दावे में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया था और दायर किए गए लिखित बयान को समन्वय पीठ द्वारा नोट किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था, जबकि याचिका कि संशोधन के लिए अनुरोध किया गया था, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आदेश 8 नियम 6 ए सीपीसी ने किसी भी सीमा की अवधि को लागू नहीं किया था। माननीय समन्वय पीठ ने आगे कहा कि सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार भी, कब्जे से राहत पाने के लिए 12 साल की अवधि का प्रावधान किया गया था और वादी-याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए कोई सामग्री दर्ज करने में विफल रहा था कि 12 साल की अवधि समाप्त हो गई थी। माननीय समन्वय पीठ ने कहा कि सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) के प्रावधानों का तात्पर्य यह नहीं है कि लिखित बयान दायर करने के बाद कोई जवाबी दावा दायर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जवाबदावा दाखिल करने के बाद उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के किसी भी कारण को जवाबी दावे का विषय नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त मामले में तर्क यह था कि राहत की मांग करने वाला प्रस्तावित संशोधन

सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले ही जवाबी दावा दायर किया जा सकता था और उक्त मामले में प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने न केवल अपना बचाव बंद किया था, बल्कि अंतिम दलीलें भी 16.01.2001 पर सुनी गई थीं। तथापि, उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के लिए कोई लाभप्रद नहीं है क्योंकि यह वह चरण है जिस पर प्रतिदावे के लिए संशोधन किया जा सकता है, इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन की सीमा सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के संदर्भ में समाप्त नहीं हुई है।

(10) राकेश आहूजा और एक अन्य बनाम जगन नाथ 3 में,

याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने उसमें जवाबदावा दायर किया था, लेकिन बाद में जवाबदावा में संशोधन की मांग की ताकि घर के निर्माण में सुधार के कारण रुपये की राशि की वसूली के लिए जवाबी दावा किया जा सके। उक्त संशोधन को निचली अदालत ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि जवाबी दावा सीमा द्वारा वर्जित था। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने उसमें विनोद कुमार के मामले (उपरोक्त) में निर्णय पर भरोसा किया, जबकि प्रतिवादी-वादी द्वारा भरोसा 'कोहिनूर होजरी' में निर्णय पर था।

मिल्स और एक अन्य बनाम न्यू बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 4, जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लिखित कथन दाखिल करने के बाद भी जवाबी दावा दायर किया जा सकता है बशर्ते कि यह सीमा की अवधि के भीतर हो। मेसर्स के फैसले पर रिलायंस को भी उक्त मामले में रखा गया था।

ओरिएंटल सिरेमिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलकत्ता

नगर निगम 5 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जवाबी दावा दायर करने की समय सीमा किसी विशेष दावे या कार्रवाई के कारण के संबंध में निर्धारित समय सीमा के समान थी।

(11) उक्त मामले में पक्षों के वकील को सुनने के बाद, माननीय समन्वय पीठ का विचार था कि जवाबी दावे का अनुरोध करने के लिए लिखित बयान में संशोधन स्पष्ट रूप से सीमा की अवधि से परे था क्योंकि आदेश 8 (6-ए) (2) के संदर्भ में एक जवाबी दावे का एक ही प्रभाव था, ताकि अदालतें मूल दावे के साथ-साथ जवाबी दावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो सकें और एक प्रतिवादी को आदेश 8 नियम 6 के तहत एक सेट ऑफ का अनुरोध करने के अधिकार के अलावा जवाबी दावा दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी ताकि पक्षों के बीच सभी प्रश्नों का निर्णय एक ही कार्यवाही में किया जा सके। समन्वय पीठ ने आगे इस पर भरोसा किया

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (2) (बी) के प्रावधान, जिसके अनुसार एक जवाबी दावे को उस तारीख को एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाना है जिस दिन अदालत में जवाबी दावा किया जाता है। समन्वय पीठ ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (2) (बी) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए कहा कि जवाबी दावा और कुछ नहीं बल्कि एक अलग मुकदमा है जिसे पक्षों के बीच सभी मुद्दों की सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए लिखित बयान के साथ जोड़ा गया था, इसलिए यह कहना सही नहीं था कि जवाबी दावा दायर करने की कोई सीमा नहीं थी। माननीय समन्वय पीठ ने आगे कहा कि जवाबी दावा करने की सीमा सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी। समन्वय पीठ ने विनोद कुमार के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि उक्त मामले में अदालत ने तथ्य के रूप में पाया था कि कब्जे का दावा करने की सीमा 12 साल थी, इसके अलावा रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि 12 साल की अवधि समाप्त हो गई थी, इसके अलावा, अदालत का ध्यान राकेश आहूजा के मामले (उपरोक्त) में संदर्भित पहले के फैसलों के साथ-साथ सीमा अधिनियम की धारा 3 में निहित वैधानिक प्रावधानों की ओर नहीं खींचा गया था, जिसके अनुसार जवाबी दावा दायर करने की सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। तदनुसार, जवाबी दावे के माध्यम से उठाए

जाने वाले दावे को सीमा द्वारा वर्जित माना गया। (12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'महेंद्र कुमार और

एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 6 ने माना कि

प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर करने के बाद एक जवाबी दावा प्रतिबंधित नहीं किया गया था क्योंकि लिखित बयान दाखिल करने से पहले जवाबी दावे के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो गया था और यह कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 के तहत, किसी भी मुकदमे के लिए अर्जित मुकदमा करने के अधिकार की तारीख से तीन साल की सीमा की अवधि प्रदान की गई थी, जिसके लिए अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई थी और यह विवादित नहीं था कि एक जवाबी दावा, जिसे सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (2) (बी) के तहत एक मुकदमे के रूप में माना जाता था, अपीलकर्ताओं द्वारा मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल के भीतर दायर किया गया था। महेंद्र कुमार के मामले (ऊपर) में निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

“नियम 6 ए (1), इसके बावजूद, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर करने के बाद जवाबी दावा दायर करने पर रोक नहीं लगाता है। आर. 6 ए (1) के तहत जो निर्धारित किया गया है वह यह है कि एक जवाबी दावा दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रतिवादी को अपना बचाव देने से पहले कार्रवाई का कारण प्राप्त हो गया हो।

या इससे पहले कि उसका बचाव करने के लिए सीमित समय समाप्त हो गया है, चाहे ऐसा जवाबी दावा नुकसान के दावे की प्रकृति का हो या नहीं। इसलिए लिखित बयान दाखिल करने के बाद अपीलार्थी द्वारा दायर जवाबी दावे को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जवाबी दावे के लिए कार्रवाई का कारण लिखित बयान दाखिल करने से पहले उत्पन्न हुआ था। अनुच्छेद 113, सीमा अधिनियम, 1963 के तहत, किसी भी मुकदमे के लिए उपार्जित धन पर मुकदमा करने के अधिकार की तारीख से तीन साल की सीमा की अवधि प्रदान की गई है, जिसके लिए अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है। यह विवादित नहीं है कि एक जवाबी दावा, जिसे धारा 3 (2) (बी) के तहत एक वाद के रूप में माना जाता है। अपीलार्थियों द्वारा मुकदमा दायर करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल के भीतर सीमा अधिनियम दायर किया गया था।”

(13) ऊपर उल्लिखित स्थिति के आलोक में, विशेष रूप से सीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 (2) (बी) के प्रावधानों के आलोक में, एक जवाबी दावे को उस तारीख पर एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए जिस दिन अदालत में जवाबी दावा किया जाता है, और यह कि एक जवाबी दावा एक अलग मुकदमे के अलावा और कुछ नहीं है। तदनुसार जवाबी दावा करने की सीमा सीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रदान की गई है। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने 06.07.2013 पर दीवानी मुकदमे में पेश होने के बाद 14.02.2018, निर्णय और डिक्री दिनांक 03.08.2009 पर जवाबी दावे के माध्यम से चुनौती देने की मांग की। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के अनुसार निर्णय और डिक्री को दरकिनार करने के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा उस तारीख से 3 साल के भीतर है जब वादी को डिक्री को रद्द करने या दरकिनार करने के अधिकार वाले तथ्य पहले उसे ज्ञात हो जाते हैं।

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 13.05.2013 पर एकतरफा कार्रवाई की गई थी और उसके द्वारा 06.07.2013 पर एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और उसके बाद, 19.04.2016 पर लिखित बयान दायर किया गया था। सी. पी. सी. के आदेश 8 नियम 6 (ए) के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले या बाद में लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव करने से पहले या अपना बचाव देने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के संबंध में जवाबी दावा दायर किया जा सकता है। मामले के तथ्य याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की जानकारी में उस तारीख को थे जब वह विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और 13.05.2013 दिनांकित एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए 06.07.2013 पर एक आवेदन दायर किया। चूंकि जवाबी दावा एक मुकदमे के समान है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा जवाबी दावा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के संदर्भ में तीन साल थी और चूंकि जवाबी दावा 14.02.2018 पर दायर किया गया था, इसलिए वही स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित था। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, उसे खारिज कर दिया जाता है, हालांकि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

(सुमती जुंद)

अस्वीकरणीय :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

अंजू बाला

अनुवादक